भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan)342003

फाइल संख्या : 9(6)2022-23/प्रशासन चतुर्थ/ दिनांक : 13.07.2022

खुली नीलामी सूचना

इस संस्थान में नीम वृक्ष की लकड़ी की खुली नीलामी दिनांक 20.07.2022 को दोपहर 3.00 बजे इस संस्थान के प्रांगण में स्वीकृत नीलामी समिति द्वारा की जाएगी । इच्छुक बोलीदाता नीलामी के नियम व शर्तो के अन्तर्गत इस नीलामी में तय दिनांक व समयानुसार उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं । खुली नीलामी बोली सूचना प्रपत्र, विस्तृत विवरण तथा नियम व शर्ते इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है । यदि चाहें तो सूचना प्रपत्र संस्थान के कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान कार्यालय से भी प्राप्त की जा सकती है ।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan)342003

फाइल संख्या : 9(6)2022-23/प्रशासन चतुर्थ/ दिनांक : 13.07.2022

खुली नीलामी बोली सूचना

इस संस्थान में नीम वृक्ष की लकड़ी उपलब्ध है जिसकी नीलामी खुली नीलामी बोली द्वारा दिनांक 20.07.2022 को दोपहर 03.00 बजे इस संस्थान के प्रांगण में स्वीकृत नीलामी समिति द्वारा की जाएगी । इच्छुक बोलीदाता नीलामी के नियम व शर्तो के अन्तर्गत इस नीलामी में तय दिनांक व समयानुसार उपस्थित होकर भाग ले सकते हैं ।

नीलामी के नियम व शर्तें :–

1. धरोहर राशि निविदा के साथ "ICAR Unit- CAZRI Jodhpur" के नाम रूपये 1000.00 (अक्षरे रूपये एक हजार) मात्र (in Lump-sum) का राष्ट्रीय अधिकृत बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट (Demand Draft) खुली नीलामी बोली में भाग लेने से पूर्व इस संस्थान में जमा कराना अनिवार्य है अन्यथा इस नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा ।
2. नीम वृक्ष की लकड़ी के प्रकार के अनुसार उस पर लगने वाला बिक्री कर खरीददार को अलग से बिक्रीकर विभाग के पास जमा कराना होगा ।
3. नीलाम की जाने वाली नीम वृक्ष की लकड़ी "जैसा है जहॉ है के आधार पर" वर्णित स्थल से खुली नीलामी बोली द्वारा नीलाम की जाएगी ।
4. इच्छुक बोलीदाता उपरोक्त नीम वृक्ष की लकड़ी का निरीक्षण नीलामी में भाग लेने से पूर्व किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय के दौरान कर सकते हैं । नीलामी के पश्चात खरीदी गई नीम वृक्ष की लकड़ी के संबंध में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी ।
5. सफलतम या उच्चतम स्वीकृत बोलीदाता/पार्टी को नीलामी के तुरन्त पश्चात् नीलाम की गई नीम वृक्ष की लकड़ी की स्वीकृत की गई अधिकतम बोली के अनुसार **सम्पूर्ण राशि राष्ट्रीय अधिकृत बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट (Demand Draft) अथवा चालान द्वारा तहसीलदार कार्यालय, में उक्त राशि दो दिन में जमा करानी होगी** । यदि अधिकतम स्वीकृत बोली दाता सम्पूर्ण राशि निर्धारित अवधि में जमा कराने में असफल रहता है तो उसकी जमा की गई धरोहर राशि सरकार/संस्थान जब्त कर लेगी और नीम वृक्ष की लकड़ी पुनः नीलामी कर दी जाएगी । जिसमें उसको भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

10 नीम वृक्ष की लकड़ी नीलामी के सफलतम अधिकतम स्वीकृत बोली दाता/फर्म के अतिरिक्त अन्य निविदादाता की धरोहर राशि को लौटा दिया जाएगा।

11. नीलाम की गई नीम वृक्ष की लकड़ी वर्णित स्थल से "जैसा है जहॉ है के आधार पर" कार्यालय आदेश जारी होने से दो दिन के भीतर उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा नीलामी राशि का एक प्रतिशत प्रतिदिन अलग से चार्ज किया जावेगा एवं पन्द्रह दिन तक माल न उठाने पर नीलामी स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी तथा जमा रकम जब्त कर ली जावेगी । नीलामी के नियम व शर्तों का उल्लंघन होने पर नीलामी की लकड़ी पुनः नीलाम कर दी जाएगी । और इस संबंध में उस पार्टी का कोई अधिकार मान्य नही होगा।
12. ऐसी संस्था, पार्टी अथवा व्यक्ति इत्यादि जिसके जिम्मे राजकीय वित्त बकाया होगी नीलामी में भाग नहीं ले सकेंगे।
13. निदेशक, काजरी द्वारा बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
14. निविदादाता को इन नियम व शर्तो को अनिवार्यत हस्ताक्षर करना होगा । निविदा सूचना प्रपत्र, विवरण एवं नियम व शर्तो की प्रतिलिपि इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in.से डाउन लोड की जा सकती है।
15. नीलामी छोडने या न छोडने का अधिकार निदेशक, के0शु0क्षे0अ0सं0, जोधपुर को होगा ।

16. **बोलीदाता को खुली नीलामी बोली में भाग लेने हेतु अपनी पहचान का फोटो युक्त आई0डी0 प्रूफ, पेन संख्या, मोबाइल नम्बर एवं पूर्ण पता देना होगा। पेन संख्या अवश्य लिखें एवं पेन प्रमाण पत्र की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करें एवं साथ में बेंक डिटेल्स A/c No., IFSC Code, Branch Name अवश्य लिखे अन्यथा खुली नीलामी बोली मान्य नहीं होगी।**
17. नीलामी स्थल पर नीलामी के दौरान कानून एवं व्यवस्था का पालन करना होगा।
18. नीलामी हेतु नीम की लकड़ी की सरकारी न्यूनतम बोली/आरक्षित मूल्य निर्धारित की गई है। यदि माल के संन्दर्भ में खुली उच्चतम बोली यदि सरकारी न्यून्तम बोली/आरक्षित मूल्य राशि से कम रहती है तो ऐसी अवस्था में उस नीम वृक्ष की लकड़ी की नीलामी नहीं की जाएगी।
19. यदि इस नीलामी के संबंध में उपरोक्त विवरण/नियम/शर्तें स्वीकार्य हो तो प्रस्तत निविदा प्रपत्र व इसके साथ संलग्न अनुसूची (Schedule) में दिये गये विवरण के अनुसार बोली दाता नीलामी में भाग लेकर खुली बोली लगा सकते हैं ।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

नाम एवं पूर्ण पता ....

मोबाइल नं...

<u>Schedule to tender</u>

<u>खुली नीलामी बोली /निविदा प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र</u>

लॉट संख्या	माल का विवरण	खुली नीलामी बोली/निविदा (in Rupees) (निविदा बोली को अंको और शब्दो दोनों में अंकित किया जाना है)
1	नीम की लकड़ी **(**विस्तृत विवरण अनुलग्नक के अनुसार है ।**)**	**अंको में** .... **शब्दों में** ....

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

नाम एवं पूर्ण पता ....

मोबाइल नं...